



2026:AHC-LKO:7435-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 66/2026

संतोष कुमार एवं 2 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ.प्र., लखनऊ एवं 6 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – निशांत, प्रखर पाण्डेय, राज बहादुर सिंह रावत, रवीन्द्र कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना गया।
2. राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा का कथन है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनके उत्तर पर विचार करने के बाद, पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया गया, जिसे दोषी पाया गया, लेकिन ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।
3. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमें इस जनहित याचिका में आगे कार्यवाही का कोई कारण नहीं दिखता। यदि कोई अन्य हेतुक है और याचिकाकर्ताओं के पास सुने जाने का अधिकार है, तो वे विधि के अंतर्गत विहित अन्य उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
4. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

2 फरवरी, 2026

अर्णिमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।